NEXT IAS

दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

प्रवासियों के लिए मताधिकार को सक्षम बनाना

प्रवासियों के लिए मताधिकार को सक्षम बनाना

संदर्भ

- भारत में आजीविका, शिक्षा या पारिवारिक कारणों से स्थानांतरित होने वाले लाखों आंतरिक प्रवासियों के लिए — मतदान का अधिकार विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सहभागी शासन का एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है।

भारत में मतदान का अधिकार

- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार [अनुच्छेद 326]**: प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, जाति, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान करने का अधिकार रखता है।
  - यह अधिकार भारत के चुनाव आयोग (ECI) [अनुच्छेद 324] द्वारा प्रशासित किया जाता है, जो देशभर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक स्वायत्त संवैधानिक संस्था है।

प्रवासन और इसके चुनावी प्रभाव

- प्रवासी वे व्यक्ति या समूह होते हैं जो रोजगार, शिक्षा, विवाह, विस्थापन या पर्यावरणीय तनाव जैसे कारणों से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में — देश के अंदर (आंतरिक प्रवासी) या राष्ट्रीय सीमाओं के पार (अंतरराष्ट्रीय प्रवासी) — स्थानांतरित होते हैं।
- जनगणना (2011) के अनुसार, भारत में 450 मिलियन से अधिक आंतरिक प्रवासी हैं।
  - 2021 तक, भारत की जनसंख्या का 28.9% से अधिक प्रवासी था, जिसमें बिहार सबसे अधिक प्रवासन से प्रभावित राज्य था। यह संख्या 2023 तक 600 मिलियन से अधिक हो गई।

प्रवासी मतदाताओं के लिए चुनौतियाँ

- **कम भागीदारी**: लोकसभा चुनाव (2024) में बिहार का मतदान प्रतिशत केवल 56% था, जो राष्ट्रीय औसत 66% से काफी कम था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि प्रवासी अपने गृह क्षेत्र में मतदान के लिए लौट नहीं सके।
- **नीतिगत चुनौती**: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, मतदान केवल मतदाता के पंजीकरण स्थान पर ही किया जा सकता है।
  - यह उन लोगों को बाहर कर देता है जो बार-बार स्थान बदलते हैं या समय पर अपने मतदाता विवरण को अपडेट करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं रखते।
  - लगभग 99% प्रवासी अपने गंतव्य स्थान पर पंजीकरण नहीं कराते, प्रायः पते के प्रमाण की कमी के कारण।
- **दूरी और आर्थिक भार**: कई आंतरिक प्रवासी सैकड़ों किलोमीटर दूर कार्य करते हैं।
  - एक श्रमिक को यात्रा व्यय, दैनिक मजदूरी की हानि और बच्चों की पढ़ाई छूटने जैसी लागतों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे प्रायः चुनावों में भाग नहीं लेते।
- **लैंगिक और सामाजिक आयाम**: प्रवासी महिलाएं, विशेष रूप से वे जो विवाह के बाद स्थानांतरित होती हैं, अतिरिक्त बाधाओं का सामना करती हैं: बच्चों की देखभाल, अस्थायी आवास, सुरक्षा संबंधी चिंताएं — ये सभी उनकी मतदान क्षमता को कम करते हैं।

समाधान की दिशा में प्रयास

- **राज्य के अंदर प्रवासियों के लिए**: भारत में लगभग 85% प्रवासी अपने ही राज्य के अंदर स्थानांतरित होते हैं। इनमें से कई अनौपचारिक रोजगारों में कार्यरत होते हैं और यदि उन्हें समर्थन मिले तो वे कम दूरी तय कर मतदान कर सकते हैं:

- मतदान दिवस पर वैधानिक अवकाश को लागू करना
- सरकार द्वारा परिवहन सेवाओं का आयोजन

- **राज्य के बाहर प्रवासियों के लिए**:
  - **रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (RVMs)**: चुनाव आयोग ने 72 निर्वाचन क्षेत्रों को संभालने में सक्षम RVMs का पायलट परीक्षण किया।
    - हालांकि, कई राजनीतिक दलों ने पारदर्शिता, मतदाता पहचान और प्रशासनिक व्यवहार्यता को लेकर चिंताएं व्यक्त की।
  - **डाक मतपत्र**: सशस्त्र बलों के लिए पहले से उपयोग में, इस प्रणाली को प्रवासी श्रमिकों तक विस्तारित किया जा सकता है।
    - इसके लिए पूर्व पंजीकरण और मतपत्र जारी करने, एकत्र करने और गिनती के लिए लॉजिस्टिक समन्वय की आवश्यकता होगी।
  - **निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन**: उन दीर्घकालिक प्रवासियों के लिए उपयुक्त जो किसी नए निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम छह महीने के निवास का प्रमाण दे सकते हैं।
    - यह प्रवासियों को स्थानीय राजनीति और नीति निर्माण में भाग लेने का अधिकार देता है।
    - हालाँकि, वर्तमान निवासियों से सामाजिक प्रतिरोध का सामना हो सकता है, लेकिन यह लोकतांत्रिक समावेशन को बढ़ावा देता है।

प्रवासी महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करना: भारत की प्रवासी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा वे महिलाएं हैं जो विवाह के कारण स्थानांतरित होती हैं। उनके नए स्थानों पर लक्षित मतदाता पंजीकरण अभियान उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से शामिल कर सकते हैं।

वैश्विक प्रथाएँ प्रवासी नागरिकों के लिए मतदान अधिकार:

- **न्यूज़ीलैंड**: स्थायी निवास वाले गैर-नागरिक एक वर्ष के निवास के बाद राष्ट्रीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं।
- **चिली और इक्वाडोर**: कानूनी रूप से उपस्थित गैर-नागरिकों को पाँच वर्षों के निवास के बाद स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों चुनावों में मतदान की अनुमति है।
- **नॉर्वे**: विदेशी नागरिक तीन वर्षों के निवास के बाद स्थानीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं।
- **यूरोपीय संघ**: किसी अन्य ईयू देश में रहने वाले ईयू नागरिक स्थानीय और यूरोपीय संसद चुनावों में मतदान कर सकते हैं, हालांकि सामान्यतः राष्ट्रीय चुनावों में नहीं।

प्रवासी भारतीयों के लिए मतदान अधिकार:

- **मेक्सिको**: विदेशों में रहने वाले नागरिक राष्ट्रीय चुनावों में मतदान कर सकते हैं, जिनमें वाणिज्य दूतावासों में व्यक्तिगत रूप से मतदान शामिल है।
- **इटली, कोलंबिया, डोमिनिकन गणराज्य**: विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए राष्ट्रीय विधायिका में विशेष सीटें आरक्षित हैं।
- **फ्रांस और कनाडा**: विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए डाक या वाणिज्य दूतावास के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान करते हैं।

आगे की राह (मिश्रित रणनीति)

- सभी प्रवासियों के लिए चुनावी समावेशन सुनिश्चित करने के लिए कोई एकल तंत्र पर्याप्त नहीं होगा।
- प्रवासी जनसंख्या विविध है — भौगोलिक स्थिति, कार्य प्रकार और निवास अवधि के आधार पर — इसलिए एक संयुक्त दृष्टिकोण आवश्यक है:
  - अल्पकालिक, अंतर-राज्यीय प्रवासियों के लिए RVMs
  - स्थिर लेकिन दूरस्थ रोजगार में लगे लोगों के लिए डाक मतपत्र
  - दीर्घकालिक प्रवासियों के लिए निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन
- राज्य के अंदर श्रमिकों के लिए स्थानीय समर्थन उपाय प्रवासी प्रोफाइल की विविधता के अनुसार तैयार की गई एक **संकर रणनीति** ही यह सुनिश्चित करने का सबसे व्यावहारिक मार्ग है कि प्रत्येक भारतीय — स्थान की परवाह किए बिना — अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सके।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत अपने आंतरिक प्रवासियों के लिए मतदान के अधिकार को सक्षम करने की तार्किक और नीतिगत चुनौतियों के साथ सार्वभौमिक मताधिकार के सिद्धांत को कैसे समन्वित कर सकता है? कौन से उपाय व्यवहार्यता और समावेशिता के बीच संतुलन स्थापित करेंगे?

■■■■